न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 99/2019 दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

1– बरदा पुत्र लाल जी, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0 मृतक कायम मुकामान :–

1/1– भूरीलाल पुत्र बरदा, आयु 27 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/2– उमराव बाई पुत्री बरदा, आयु 40 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/3– गुडडी बाई पुत्री बरदा, आयु 25 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/4– नाथी बाई पुत्री बरदा, आयु 35 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/5– बरजी बाई बेवा बरदा, आयु 60 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– शिव जी वल्द लाला जी, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– नानूराम वल्द लाला जी जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– छगन वल्द लाला जी जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– जगन्नाथ वल्द लाला जी, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

5/1– रोशन वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5/2– रमेश वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/3– अमरसिंह वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/4– पूरा वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/5– गोपाल वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– देवीलाल वल्द भोला, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

6/1– भेरूलाल वल्द देवीलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6/2– बालाराम वल्द देवीलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– किशोर वल्द भोला, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

7/1– बाबूलाल वल्द किशोर, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

..... अपीलांट

बनाम

1– प्रभूलाल वल्द नन्दा, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– चौथमल पुत्र प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/2– भागीरथ पुत्र प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/3– जाना बाई पुत्री प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1/4– रोडी बाई धर्मपत्नी प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– भैरूलाल वल्द नन्दा, जाति कहार माली, निवासी रेपला, तहसील बकानी, जिला झालावाड राज0

3– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 121/दावा/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि ग्राम गरडा, तहसील अकलेरा में ग्राम गरडा के माल में धूल्या पुत्र गंगाराम के खाते खसरा नम्बर 873 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 874 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 942 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कुल 3 किता की 11 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। धूल्या की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी उसकी बेवा अमरी के नाम इंतकाल नम्बर 174 से दर्ज की गई । धूल्या ला औलाद फौत हुआ था । धूल्या की मृत्यु के 2 वर्ष पूर्व अपनी आराजी मकान, जायजाद अपने भतीजे लाल, देवीलाल पिसरान भोला तथा बंवरलाल पुत्र जगन्नाथ, बापू पुत्र किशोर, भंवर लाल पुत्र नन्दा कहा निवासी गरडा को अपनी रजामंदी से सौप दी थी कि मेरे मरने के बाद सारी आराजी के तुम ही मालिक होगे और उसी समय कब्जा भी संभला दिया था । वादीगण का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर 4/5 हिस्से पर मुतनाजा पर चला आ रहा है और आज भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है । लाला की मृत्यु हो चुकी है । वादीगण बरदा, शिवजी, नानूराम,

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

छगन लाला की संतान एवं वारिस है तथा जगन्नाथ वल्द भोला की भी मृत्यु हो गई है । वादीगण रोशन, रमेश, अमर सिंह, पूरा, गोपाल, जगन्नाथ की संतान एवं वारिस हैं । देवी लाल वल्द भोला की भी मृत्यु हो चुकी है । वादीगण भैरूलाल, बालाराम, देवीलाल की संतान एवं वारिस हैं । किशोर वल्द भोला की भी मृत्यु हो गई है बापू उसका पुत्र है । वादीगण का 1982 से लगातार बइल्म प्रतिवादी प्रभू ओपन एवं होस्टाइल कब्जा चला आ रहा है। बेदखली के दावे की मियाद भी 12 वर्ष होती है । इस कारण प्रभू के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गया हैं । इस कारण प्रभू के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं । अतः धारा 63 (4) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रतिवादी के टीनेन्सी अधिकार समाप्त हो गये हैं तथा वादीगण को खातेदार अधिकार प्राप्त हो गये हैं । कब्जा मुखालनफाना के आधार पर भी वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । उक्त वाद का जवाब प्रतिवादी प्रभूलाल द्वारा पेश कर आराजी धूलिया की मृत्यु के बाद अमरी के खाते दर्ज होना तथा अमरी के द्वारा उसे संभला देना लिखा है तथा देवीलाल द्वारा पूर्व में भी एक वाद इसी आराजी के बाबत पेश करना लिखा है जो खारिज हो गया है तथा प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम भी पेश कर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत दादरसी मांगी थी । अपीलांट वादीगण ने प्रतिवादी के काउंटर क्लेम का जवाब पेश किया जिसमें उन्होंने प्रभू के मध्य राजीनामे के सम्बन्ध में लिखा है कि उक्त वाद में जिसकी वाद संख्या 1056/85 था उसमें अपीलांट ने उन्हें पक्षकार बनाये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया और रेस्पोडेंट प्रभू ने गुप्त तरीके से अमरी से राजीनामा कर दावा डिक्री करा लिया परन्तु डिक्री की पालना में अपीलांट वादीगण को कभी भी बेदखल नहीं किया गया और वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात बनायी जाकर साक्ष्य अपीलांट लेकर वादीगण अपीलांट का दावा खारिज कर दिया तथा काउंटर क्लेम में रेस्पोडेंट भी खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय पारित करने समय शहादत का कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है । अधीनस्थ

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय ने तनकी नम्बर 5 निम्न प्रकार थी **"आया आराजी मुतनाजा के संबंध में अमरी एवं प्रभू के मध्य दावा नम्बर 1056/85 चला था जिसमें राजीनामा होकर आराजी प्रभू के खाते दर्ज करने का आदेश हुआ इसका वाद पर क्या असर है । उक्त वाद में वादीगण ने उन्हें पक्षकार बनाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था, उसका निर्णय करें बिना प्रतिवादी प्रभू ने राजीनामा कर लिया इसका वाद पर क्या असर है ।"** यह तनकी बहुत ही महत्वपूर्ण तनकी थी उस तनकी का निर्णय करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ निर्णय की अपील पेश नही करने के आधार पर यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय कर दी जो पत्रावली में पेश दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्टतयाः कानून के विरूद्ध निर्णय की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.10.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धूल्या की पत्नी अमरी थी । धूल्या ला औलाद फौत हुआ । अपीलांटगण ही वादग्रस्त आराजी के वारिस हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेंट ने पूरी जमीन को अपने खाते लगाने का दावा (1056/85) किया था। दावे में अमरी व प्रभूलाल रेस्पोडेंट ने वादग्रस्त आराजी बाबत राजीनामा कर लिया । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायलय में आर्डर 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र लगाया था इसका कोई निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने पारित नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री कर दिया । दिनांक 5.11.88 दखलनामे में अमरी की मृत्यु का हवाला अंकित है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है। रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज के आधार पर दावा खारिज कर दिया । तनकी नम्बर 2 में हमारा कब्जा माना है । तनकी नम्बर 4 राजीनामा हमारे बीच नहीं हुआ था वरन अमरी व प्रभू के बीच हुआ था । तनकी नम्बर 7 रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम भी खारिज कर दिया, जिसकी कोई अपील नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहों के बयान कराये जिन्होंने भी वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा भी खारिज कर दिया व रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम भी खारिज कर दिया जबकि हमारा दावा डिक्री करना चाहिए था । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में 4 तनकीयात कायम की तथा तनकीवार विवेचन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई राजस्व अथवा अन्य कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि मृतक धूल्या द्वारा सारी सम्पत्ति व विवादित आराजी वादीगण अपीलांट को सौंप कर कब्जा आराजी संभला दिया हो । वादीगण अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेंट प्रभू के खाते में दर्ज होने के बाद भी वादीगण अपीलांट का कब्जा रहा हो जबकि प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा दखलनामा दिनांक 05.11.88 प्रस्तुत किया है जो एक वैधानिक दस्तावेज है । तनकियों के विवेचन से यह भी साबित नहीं होता है कि वर्णित आराजी पर वादीगण अपीलांट का लगातार कब्जा चला आ रहा हो । प्रतिकूल कब्जे के समर्थन में कोई राजस्व रेकार्ड की प्रतियां पेश नहीं की है मात्र मौखिक रूप से प्रतिकूल कब्जे की बात कहना उचित नहीं है । कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना समाप्त हो चुका है । वादीगण अपीलांट द्वारा समस्त तथ्य मात्र कब्जे के आधार पर ही प्रस्तुत किये हैं किन्तु दौराने बहस वकील वादी अपीलांट द्वारा वादीगण धूल्या के रिश्तेदार होने से वर्णित आराजी में प्रभू रेस्पोडेंट के साथ सहखातेदार होने का हक व्यक्त किया है इस हेतु वादीगण अपीलांट को

(अरविन्द लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व वाद संख्या 1056/85 की अपील प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करनी चाहिए थी जो इनके द्वारा नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा इस वाद के माध्यम से किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए वादीगण अपीलांट का वाद खारिज किया है तथा प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम भी विधिक प्रकिया व कोर्ट फीस के अभाव में खारिज किया है जो सही है इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बरदा पुत्र लाल जी, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0 मृतक कायम मुकामान :–
1/1– भूरीलाल पुत्र बरदा, आयु 27 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
1/2– उमराव बाई पुत्री बरदा, आयु 40 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
1/3–गुडडी बाई पुत्री बरदा, आयु 25 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
1/4– नाथी बाई पुत्री बरदा, आयु 35 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
1/5–बरजी बाई बेवा बरदा, आयु 60 साल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– शिव जी वल्द लाला जी, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– नानूराम वल्द लाला जी जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
4– छगन वल्द लाला जी जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5– जगन्नाथ वल्द लाला जी, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–
5/1–रोशन वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5/2– रमेश वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5/3– अमरसिंह वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5/4– पूरा वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5/5– गोपाल वल्द जगन्नाथ, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
6– देवीलाल वल्द भोला, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–
6/1-- भेरूलाल वल्द देवीलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
6/2– बालाराम वल्द देवीलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
7– किशोर वल्द भोला, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–
7/1– बाबूलाल वल्द किशोर, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

..... अपीलांट

बनाम

1– प्रभूलाल वल्द नन्दा, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–
1/1– चौथमल पुत्र प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
1/2– भागीरथ पुत्र प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
1/3– जाना बाई पुत्री प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
1/4– रोडी बाई धर्मपत्नी प्रभूलाल, जाति कहार माली, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– भैरूलाल वल्द नन्दा, जाति कहार माली, निवासी रेपला, तहसील बकानी, जिला झालावाड राज0
3– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

..... रेस्पोडेंट

अपील नं. 99/2019 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
मु.द.नं0 121/दावा/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक – 07.08.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह **03** सन् **2021**

हाजरी **श्री इन्दलाल गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **08** माह **04** सन् **2021** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)

मोहर